राष्ट्रीय दूरसंचार नीति- 2012
(एनटीपी - 2012)

प्रस्तावना

दूरसंचार का क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ते ज्ञान आधारित गहन वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक और समाजिक विकास के मुख्य साधन के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र में भारत को अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि भारत ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वहनीय और गुणवत्तामूलक दूरसंचार सेवा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देते हुए साम्ययुक्त और समावेशी आर्थिक विकास के माध्यम से कारगर ढंग से इस भूमिका को निभाए और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यों में क्रांतिकारी सुधार करे। इस नीति के तहत मुख्य ध्यान इस तथ्य को स्वीकार करने पर दिया गया है कि प्रौद्योगिकी को बेहतर तरीके से अपनाने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था करने और वित्तीय समावेश तथा इसके साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में पैदा होने वाली विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने में व्यवहार्य विकल्प की व्यवस्था होगी। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए तथा सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और भारत को बेहतर स्थिति में लाने के लिए समनुरूप नीतिगत कार्य संरचना की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 एक विशेष पहल है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था करके इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में कई गुना रोजगार अवसर पैदा करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशक अनुरूप वातावरण पैदा करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का मुख्य दृष्टिकोण और लक्ष्य नागरिकों को वहनीय कीमत पर कारगर संचार उपलब्ध कराना है।

2. गत दशक के दौरान भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। नई दूरसंचार नीति 1999 ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास में प्रेरक की भूमिका निभाई है। फरवरी, 2012 के अंत में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 943 मिलियन थी जबकि दिसंबर, 2001 के अंत में यह संख्या 41 मिलियन थी। दूरसंचार के क्षेत्र में यह वृद्धि सेल्यूलर क्षेत्र (मोबाइल फोनों) के कारण तीव्रतर हुई है जिसके अकेले फरवरी, 2012 के अंत में 911 मिलियन कनेक्शन थे। दूरसंचार क्षेत्र के संघटन में भी संरचनात्मक परिवर्तन आया है और इसमें कुल कनेक्शनों में निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों की संख्या 88 प्रतिशत है।

3. वर्तमान में भारत का दूरसंचार बाजार विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा दूरसंचार बाजार है। टेलीघनत्व में हुई अभूतपूर्व वृद्धि तथा भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रशुल्क में हुई तेजी से गिरावट ने देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान किया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3 प्रतिशत का योगदान करने के अतिरिक्त दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रो में प्रगति की गति को तीव्रतर करने में अत्यधिक योगदान किया है।

4. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) इसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में तैयार की गई है। इसका उद्देश्य दूरसंचार में हुई प्रगति का उपयोग करके देश को एक सशक्त तथा समावेशी ज्ञान-आधारित समाज के रुप में परिवर्तित करना है।

5. पिछले दशक में हुई आर्थिक वृद्धि के होते हुए भी, देश में डिजीटल अंतर लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। एक तरफ दूरसंचार के विस्तार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति शहरी क्षेत्रों की तुलना में धीमी रही है, जिसमें कुल कनेक्शनों का केवल 34 प्रतिशत भाग ही ग्रामीण क्षेत्र में है। दूसरी ओर समाज के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब वर्गों को प्रौद्योगिकी से और अधिक लाभान्वित होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का लक्ष्य **मांग होने पर ब्रॉडबैंड** उपलब्ध कराना है और इसमें दूरसंचार अवसंरचना में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के सभी नागरिकों और कारोबारियों को इंटरनेट और वेब अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने में सक्षम बनाया जा सके और पूरे देश में साम्ययुक्त और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए सक्षम कार्यसंरचना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति- 2012 में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे मुख्य सामाजिक क्षेत्रों जो इस समय अलग-थलग क्षेत्रों तथा कुछ संगठनों तक सीमित है, में ई-अभिशासन और एम-अभिशासन के संबंध में क्षेत्र तटस्थ सेवाओं को सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इससे इन सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार होगा और इस प्रकार सेवा प्रदान करने के सहभागी लोकतांत्रिक मॉडल की व्यवस्था होगी जो कि वास्तव में नागरिक केंद्रित है।

6. दूरसंचार अब केवल आवाज तक ही सीमित नही रह गया है। प्रौद्योगिकी के अंकीय डिजीटल परिवर्तन ने वॉयस, डाटा और वीडियो के डिजीटल रूप में रूपांतरण को सुकर बना दिया है। अब इस प्रकार की सुविधाएं तेजी से नेटवर्कों, सेवाओं और उपकरणों में भी अभिसारिता लाकर एक एकल नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जा रही है। अब यह अनिवार्य हो गया है कि दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं, नेटवर्क, प्लेटफार्म, प्रौद्योगिकी के मध्य संकेन्द्रण की व्यवस्था की जाए और इन क्षेत्रों में लाइसेंस, पंजीकरण और विनियामक तंत्र की मौजूदा अलग-अलग व्यवस्था का समाधान किया जाए ताकि वहनीयता, अभिगम में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने तथा इनकी लागत कम करने की व्यवस्था की जा सके। यह साम्ययुक्त और समावेशी विकास का मुख्य भाग होगी। इस नीति का उद्देश्य दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के एक-दूसरे से जुड़ने के कारण तीव्र गति से बढ़ती इनकी आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में समेकित कार्रवाई की व्यवस्था करना है।

7 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सेवाओं को प्रदान करने में बेतार प्रौद्योगिकियों की लगातार बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय दूरसचार नीति-2012 में तीन स्तरीय सेवाओं अर्थात (वॉयस, वीडियो और डाटा) जिनके लिए ब्रॉडबैंड मुख्य माध्यम है, सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कार्यसंरचना शामिल की गई है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए उपयुक्त उपकरण व्यवस्थाओं के माध्यम से सेवा प्रदान करके इसे सुकर बनाया जाएगा।

8. इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, दूरसंचार कनेक्टिविटी और सूचना प्रौद्योगिकी में उभरती प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों से मोबाइल फोन को इंटरनेट का उपयोग करके अथवा सामान्य सेवा केंद्रों इत्यादि जैसे सहायक सेवा केंद्रों के माध्यम से स्वयं सेवी पद्धति में इलेक्ट्रानिक रूप से लाखों नागरिकों को सेवा प्रदान करना संभव होगा। टेलीफोन जो कभी मात्र एक संचार उपकरण था अब इसमें सशक्तिकरण का एक साधन होने की क्षमता है। दूरसंचार नीति का पुनराभिमुखीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इस कार्य को मोबाइल प्रौद्योगिकी की सर्वव्यापी कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, सभी गांवों में फाइबर का प्रसार, उच्च प्रौद्योगिकी कम लागत वहनीय उपकरणों और साफ्टवेयर समाधानों के माध्यम से संभव बनाया जाएगा जो एम-भुगतान सहित सेवा की इलेक्ट्रानिक अभिगम्यता प्रदान करेंगी। एक अद्भुत एडीएआर (आधार) आधारित इलेक्ट्रानिक प्रमाणन कार्यसंरचना जनता को सेवाएं प्रदान करने का एक अभिन्न भाग होगी। क्लाउड कम्प्यूटिंग सुविधा से रॉल आउट सेवाओं को निर्धारित करने की क्षमता में

वृद्धि होगी और सोशल नेटवर्किंग तथा सहभागी अभिशासन और एम-कॉमर्स सेवाओं को उस स्तर पर प्रदान करना संभव होगा जिस स्तर पर परंपरागत प्रौद्योगिकी उपायों से संभव नहीं था।

9. इस समय विनिर्माण कार्यकलाप मे सुधार करने के लिए गहन प्रयास करने की तात्कालिक आवश्यकता है क्योंकि देश में तीव्र आर्थिक विकास से सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और विशेष रूप से दूरसंचार उत्पादों की असाधारण मांग पैदा हुई है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में अनुसंधान और विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय आईपीआर की व्यवस्था करके और इसे शामिल करके भारत को अधुनातन प्रौद्योगिकी, कड़ी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है। ऐसा करने के लिए सुरक्षा तथा रणनीतिक चिंताओं का ठोस समाधान करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता होगी जो उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हों और दूरसंचार उपस्कर के क्षेत्र में भारत को मुख्य वैश्विक विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित कर सके। इसके साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए प्रक्रियाओं के मानकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी।

10. दूरसंचार क्षेत्र के सतत विकास-मार्ग के लिए, इस क्षेत्र के पारंपरिक मुद्दों से निपटते हुए प्रतिस्पर्द्धा और समेकन के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तंत्रों की स्थापना करना अति महत्वपूर्ण है, जिससे दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ताओं और प्रदाताओं दोनों को लाभ पहुंचे ।

11. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दूरसंचार के क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए अत्यधिक पूंजी तैयार करने तथा क्षमता निर्माण मे वृद्धि करने की भी आवश्यकता होगी। यह अनिवार्य हो जाता है कि समग्र अभिसारित आईसीटी क्षेत्र के लिए समन्वित दक्षता विकास कार्यनीति बनाई जाए ताकि प्रौद्योगिकीय विकास के अनुरूप दक्षताओं का सतत स्तरोन्नयन किया जा सके। इस कार्यनीति की मुख्य विशिष्टता हमारी अपनी युवा आबादी और उनकी सृजनात्मक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना है। "क्लाउड कम्प्यूटिंग " जैसी प्रौद्योगिकियों के आगमन से ऐसा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है कि भारत की सेवा सुपुर्दगी संबंधी प्रतिस्पर्द्धी क्षमताओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप से एक नए स्तर तक पहुंचाया जा सकता है।

12. नई प्रौद्योगिकियों के आने से विधि प्रवर्तन एजेंसियों को नेटवर्क सुरक्षा, संचार सुरक्षा एवं दूरसंचार सहायता के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एनटीपी-2012 में इनसे संबंधित समस्याओं का पूरी तरह से समाधान करने के लिए स्पष्ट कार्य नीति का प्रावधान किया गया है।

13. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने देश में विशेषकर ग्रामीण, सुदूरवर्ती, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। देश में ब्रॉडबैंड के विस्तार में बीएसएनएल और एमटीएनएल का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश की सामरिक और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इस नीति में इस बात पर महत्व दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती रहेगी।

14. यदि नीतिगत उद्देश्यों को पूर्ण रूप से हासिल करना है तो संस्थाओं को नीति के क्रियान्वयन के लिए रीढ़ के रूप में लिया जाना चाहिए। विश्व भर में, दूरसंचार विनियामक उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं दोनों के हितों में संतुलन बनाते हुए, दूरसंचार उद्योग के सुव्यवस्थित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ट्राई अधिनियम के रूप में, भारत के पास एक स्वतंत्र विनियामक है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में विनियामक को और अधिक सशक्त बनाने की मांग की गई है।

15. एनटीपी-2012 में, प्राकृतिक और मानव जन्य आपदाओं को कम करने के लिए अनुकूल सहायता की अपेक्षा को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए सुदृढ़ और लचीले दूरसंचार नेटवर्कों के सृजन के महत्व पर बल दिया गया है।

16. एनटीपी-2012 में, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 (आईपीवी6) की भावी भूमिका और इसके अनुप्रयोगों पर बल दिया गया है।

I. दृष्टिकोण

भारत के तीव्र और समेकित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय एवं उच्च गुणवत्ता वाली अभिसरित दूरसंचार सेवाएं कभी भी कहीं भी उपलब्ध कराया जाना।

II लक्ष्यः

1. सुदृढ़, सुरक्षित और अत्याधुनिक दूरसंचार नेटवर्क तैयार करना ताकि ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विशिष्ट ध्यान रखते हुए निर्बाध कवरेज उपलब्ध करायी जा सके और डिजिटल अन्तर को पाटा जा सके और इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक विकास को सुगम बनाया जा सके।

2. देश भर में वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली ब्रॉडबैंड सुविधाओं का विस्तार करते हुए ज्ञान आधारित समाज बनाना।

3. मोबाइल डिवाइस को नागरिकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में स्थापित करना।

4. दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण एवं अभिसरित दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना।

5. सुरक्षा और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देते हुए घरेलू और विश्वभर के बाजार की अवसरंचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक आईसीटीई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं में अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

6. राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए मानकों के विकास को बढ़ावा देना, आईपीआर का सृजन करना और वैश्विक मानकों के निर्माण में भागीदारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों में भाग लेना, जिससे भारत को दूरसंचार के मानकीकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनाया जा सके ।

7. घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करना ।

8. उपर्युक्त सभी के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना ।

III उद्देश्य :

1. सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली, वहनीय एवं सुरक्षित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना।

2. वर्तमान ग्रामीण टेलीघनत्व लगभग 39 प्रतिशत को बढ़कार वर्ष 2017 तक 70 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत करना।

3. वर्ष 2015 तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करना और वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड से 600 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना एवं मांग पर कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्चतर गति उपलब्ध कराना।

4. उपयुक्त एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ई-अभिशासन में सहयोग करने और इसमें भाग लेने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाना।

5. प्रौद्योगिकियों के सम्मिश्रण के माध्यम से वर्ष 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों में और वर्ष 2020 तक सभी गांवों और आबादी वाले स्थानों पर उत्तरोत्तर रूप से उच्च गति और उच्च गुणवत्ता की ब्रॉडबैंड अभिगम्यता उपलब्ध कराना।

6. घरेलू और वैश्विक बाजारों को आपूर्ति कराने हेतु दक्षता और क्षमता में वृद्धि करते हुए स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा देना।

7. 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान और विकास, आईपीआर सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण एवं विनियोजन हेतु समग्र निधि बनाना।

8. डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण के लिए ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना अर्थात वर्ष 2017 और वर्ष 2020 तक क्रमश: 40% और 65% मूल्य वर्द्धन के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की 60% और 80% मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार उपस्कर के घरेलू उत्पादन के लिए समग्र मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना।

9. उन दूरसंचार उत्पादों के प्रापण में जिनका, देश की सुरक्षा के लिए सरोकार है, और सरकारी प्रापण में स्वयं के प्रयोग के लिए सरोकार है, विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप स्वदेश में ही निर्मित दूरसंचार उत्पादों को वरीयता देना।

10. राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने, आईपीआर सृजित करने और वैश्विक मानकों को तैयार करने में सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों में भागीदारी करना और इस प्रकार भारत को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकीकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनाना। इस कार्य में उद्योग, अनुसंधान और विकास संस्थाओं अकादमिक संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और प्रयोक्ताओं के साथ उपयुक्त संपर्क बनाते हुए सहायता प्रदान की जाएगी।

11. ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली अभिसारित सेवाओं का विस्तार करने के लिए लाइसेंसिंग ढांचे को सरल बनाना। इसमें विषय-वस्तु विनियमन शामिल नहीं होगा।

12. सभी सेवाओं और सभी क्षेत्रों के लिए " **एक राष्ट्र-एक लाइसेंस**" बनाने का प्रयास करना।

13. " **एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटि** " का लक्ष्य प्राप्त करना और "**एक राष्ट्र-निःशुल्क रोमिंग**" की दिशा में कार्य करना।

14. **मोबाइल फोन को मात्र एक संचार यंत्र न मानते हुए इसे अधिकारिता के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हुए प्रस्तुत करना** जिसमें संचार की सुविधा के साथ-साथ पहचान का प्रमाण, पूर्ण रूप से सुरक्षित वित्तीय एवं अन्य लेन-देन क्षमता, बहु-भाषी सुविधाएं और अन्य विशेषताएं होंगी जिसके लिए साक्षरता कोई बाधा नहीं होगी।

15. " ओपन प्लेटफार्म " मानकों पर आधारित और बहुभाषी सेवाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम मोबाइल फोनों के विकास को बढ़ावा देना।

16. प्रयोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संवर्द्धित सेवा सुपुर्दगी हेतु **अभिसारित नेटवर्कों** पर निर्बाध और स्पष्ट आवाज, डाटा, मल्टीमीडिया और प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराना।

17. पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करते हुए अभिसारित दूरसंचार सेवा क्षेत्र में समेकन को सुगम बनाना।

18. उपभोक्ताओं को फिक्स्ड मोबाइल अभिसरण के द्वारा चाहे उनके पास कोई भी डिवाइस हो या वे कहीं भी हो, सेवाओं को अधिकतम रूप से उपलब्ध कराना और इस तरह, अन्य बेतार सेवाओं के लिए बहुमूल्य स्पेक्ट्रम को उपलब्ध कराना।

19. वीएएस उद्योग मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में भागीदारों के लिए " इकोसिस्टम " को बढ़ावा देना ताकि भारत मूल्यवर्द्धित सेवाओं के लिए वैश्विक केंद्र बन जाए।

20. बाजार संबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता और इसके आवंटन को सुनिश्चित करना। **आईएमटी सेवाओं के लिए वर्ष 2017 तक 300 अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज और वर्ष 2020 तक 200 और अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज उपलब्ध कराना।**

21. स्पेक्ट्रम उपयोग की नियमित जांच की व्यवस्था करते हुए स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।

22. सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवृत्ति बैंडों के लिए लाइसेंस हटाना।

23. विकास के लिए आईसीटी की वास्तविक कार्यक्षमता को साकार रूप में लाने के लिए दूरसंचार को अवसंरचना क्षेत्र के रूप में महत्व देना।

24. दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने में " रॉइट ऑफ वे " मुद्दों का समाधान करना।

25. सामान्य और भेदभाव रहित अभिगम्यता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न नेटवर्कों के अंतर्संयोजन हेतु सामान्य प्लेटफार्म का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इकोसिस्टम अनिवार्य करना।

26. दूरसंचार क्षेत्र से संबद्ध पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधित सरोकारों का समाधान करने वाले ढांचे को सुदृढ़ करना।

27. दूरसंचार में " ग्रीन पॉलिसी " को अपनाने, बढ़ावा देने तथा स्वामित्व के लिए नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

28. सेवा, प्रशुल्क, उपयोग इत्यादि की गुणवत्ता में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सूचित सहमति को बढ़ावा देते हुए उपभोक्ता हित को संरक्षित करना।

29. यथासमय एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने हेतु शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना।

30. क्षेत्र की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाओं का आकलन एवं समाधान करते हुए मानव पूंजी निर्माण तथा क्षमता निर्माण गति को बढ़ाने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

31. उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से दूरसंचार विभाग के विभिन्न संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सार्थक सहयोग के महत्व और सृजन को प्रोत्साहित करना तथा देश में सुदृढ़ और सुरक्षित दूरसंचार एवं सूचना अवसंरचना के निर्माण में इनके संसाधनों और क्षमताओं के इष्टतम उपयोग के लिए सहायता प्रदान करना।

32 दीर्घकालिक स्थायित्व के अनुरूप इस क्षेत्र का वित्तपोषण करने हेतु एक नीतिगत ढांचे को तैयार करना।

33 दूरसंचार उत्पादों और अनुसंधान व विकास संस्थाओं के स्वदेशी विनिर्माणकर्ताओं के लिए अपेक्षित उपयुक्त राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

34 **वर्ष 2020 तक एक चरणबद्ध और समयबद्ध रूप मे देश में नए इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपीवी 6) में पर्याप्त बदलाव** लाना और आईपी प्लेटफॉर्म पर अनेक सेवाओं को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक परिवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना।

35. संस्थागत, कानूनी और विनियामक ढॉचे को सुदृढ़ बनाना तथा इसे अधिक दक्ष, समय से निर्णय करने में सक्षम तथा पारदर्शी बनाने की दृष्टि से संबंधित प्रक्रिया को पुनर्सरचित करना।

36. दूरसंचार विभाग में सभी प्रकार की सेवाओं तथा दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस और क्लियरेंस जारी करने हेतु ऑन लाइन आवेदन जमा कराने में सहायक एक वेब आधारित, वास्तविक ई-अभिशासन समाधान को संस्थापित करना।

IV कार्यनीतियाँ

1. ब्रॉडबैंड, ग्रामीण टेलीफोनी और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)

1.1. उपभोक्ता परिसर में अभिगम, सम्मेलन स्तर, पर्याप्त क्षमता युक्त कोर नेटवर्क, लागत प्रभावी उपभोक्ता परिसर उपकरण और संगत अनुप्रयोगों को विकसित करने हेतु परिवेश के लिए माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित मंत्रालयों/सरकारी विभागों/अभिकरणों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहरा तालमेल स्थापित करने के लिए **ब्रॉडबैंड हेतु एक ई-व्यवस्था विकसित करना।** समान और निष्पक्ष परिवेश में मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़े या छोटे सभी प्रकार के सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए विनियामक नीतियां तैयार करना।

1.2 शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के समान एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड संयोजकता को मान्यता प्रदान करना तथा जनता को "**ब्रॉडबैंड का अधिकार**" प्रदान करने की दिशा में कार्य करना।

1.3 ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयुक्त संयोजन द्वारा "**ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में विश्वसनीय और वहनीय ब्रॉडबैंड अभिगम प्रदान करने पर विशेष बल देना।**" आरंभ में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्त पोषण द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा। तत्पश्चात उत्तरोत्तर रूप में ग्राम पंचायत स्तर से सभी गांवों और वास स्थानों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तक अभिगम सभी के लिए उपलब्ध और प्रौद्योगिकी निरपेक्ष होगा।

1.4 ग्रामीण रॉल आउट के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

1.5 मौजूदा 256 केबीपीएस की ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को संशोधित करके 512 केबीपीएस **करना और तत्पश्चात् वर्ष 2015 तक इसे 2**एमबीपीएस करना और इसके पश्चात इसे कम से **कम 100 एमबीपीएस की उच्च गति स्तर पर पहुंचाना।**

1.6 समर्थकारी दिशा-निर्देशों और नीतियों की सहायता से तथा तेजी से विकसित हो रहे शहरों और नगरों को **सदैव संयोजित** समाज का रूप प्रदान करके स्वतंत्र अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) को प्रोत्साहन प्रदान करना।

1.7 वर्तमान विनियामक ढांचे में समर्थकारी प्रावधानों को शामिल करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता युक्त ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से केबल टीवी नेटवर्कों सहित मौजूदा अवसंरचना का इष्टतम उपयोग हो सके।

1.8 देश में ब्रॉडबैंड के तेजी से विस्तार हेतु **ऑप्टिकल फाइबर केबल** बिछाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों से समन्वय करने की दृष्टि से उपयुक्त संस्थागत अवसंरचना स्थापित करना।

1.9 ऑन लाईन पहचान और वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था करने सहित सुरक्षित लेन-देन सेवाओं के लिए अत्यधिक विशेषताओं वाले मोबाइल उपकरण तथा सिम कार्ड को प्रोत्साहित करना।

1.10 ई-अभिशासन, ई-पंचायत, मनरेगा, एन के एन, आधार, आकाश टैबलेट आदि ब्रॉडबैंड के रॉल्स आउट और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना।

1.11 उपयुक्त फ्रीक्वेंसी बैंड में माइक्रोवेव अभिगम/बैकहाल के लिए मौजूदा और भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

1.12 ब्रॉडबैंड अनुप्रयोगों और सेवाओं की मांग में वृद्धि करने के लिए विशेषकर **स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में सुविधाओं के सृजन** को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर कार्य करना जिससे एनजीएन सहित **सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी)** में निवेश बढ़ेगा।

1.13 दीर्घकालिक स्थायित्व को हासिल करने के लिए ऊर्जा सक्षम उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

1.14 यूएसओ निधि को उपयोग में लाने के लिए अपनाए जा रहे तरीकों की समय-समय पर समीक्षा करना और अन्य देशों में अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तरीकों के मुकाबले इस संबंध में मानक निर्धारित करना ।

1.15 वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कन्वर्ज्ड संचार सेवाओं हेतु यूएसओ निधि से निरंतर सहायता उपलब्ध कराना।

2. **दूरसंचार उपकरणों का अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण तथा मानकीकरण**

2.1 घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, विकास एवं **विनिर्माण** को प्रोत्साहित करना।

2.2 घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए संबंधित प्रौद्योगिकी तथा मानकों एवं विनयमनों से संबंधित रोड मैप तैयार करना।

2.3 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार विनिर्माण उद्योग, सरकार, शिक्षा-क्षेत्र और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं से विशेषज्ञों को शामिल करके एक परिषद गठित करना। यह परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी :

2.3.1 प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद विकास के संबंध में पूर्वानुमान लगाना।

2.3.2 प्रौद्योगिकी/उत्पाद विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना और उसे समय-समय पर अद्यतन करना।

2.3.3 घरेलू अनुसंधान और विकास, आईपीआर सृजन, तथा उत्पाद एवं सेवाओं के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और उस पर निगरानी रखने के लिए एक नोडल समूह के रूप में कार्य करना।

2.4 **शिक्षण क्षेत्र, अनुसंधान तथा विकास केंद्रों, विनिर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों** के बीच सहयोग हेतु समन्वय को बढ़ावा देना तथा भारतीय परिवेश में उपयुक्त नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना।

2.5 युवा उद्यमियों को अपेक्षित वित्त पोषण (प्री-वेन्चर और वेन्चर पूंजी) और प्रबंधकीय एवं परामर्शदात्री सुविधाएं उपलब्ध कराकर भारतीय उत्पादों को विकसित करने और उनका वाणिज्यीकरण करने के लिए **उद्यमियों को सहायता प्रदान करना।**

2.6 घरेलू अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक सम्पदा सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, वाणिज्यिकरण एवं दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं को अतिआधुनिक बनाने संबंधी विकास के लिए **निधि का सृजन करना।**

2.7 सुरक्षा आवश्यकताओं सहित राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सरकार, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, सेवा प्रदाताओं एवं शिक्षण संस्थानों की प्रबल सहभागिता से एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में **दूरसंचार मानक विकास संगठन (टीएसडीओ) की संस्थापना** को प्रोत्साहन प्रदान करना। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठनों में सभी स्टेकहोल्डरों के लिए अभिगम सुगम होगा और यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भारतीय अपेक्षा/आईपीआर/मानकों को शामिल करने की तैयारी करने के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा।

2.8 सुरक्षा कारणों अथवा, इस संबंध में संगत सरकारी निर्णय एवं नीतियों के अनुसार सरकारी प्रापण के लिए **घरेलू विनिर्मित दूरसंचार** उपस्कर एवं उत्पादों से संबंधित वरीयता अनुसार विनिर्दिष्ट **दिशानिर्देश** अधिसूचित करना।

2.9 निम्नलिखित बातों को प्रोत्साहित कर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन देना

2.9.1 ऐसे भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिबद्धता जो कीमत और निष्पादन में आयातित उत्पादों के बराबर हों।
2.9.2 नवनिर्मित भारतीय उत्पादों के परीक्षण में भाग लेने, बढ़ावा देने और प्रायोगिक ऑर्डर व आर्डर देने के प्रति प्रतिबद्धता।
2.9.3 शोध एवं विकास का वित्तपोषण और भारतीय आईपीआर निर्माण में सहायता देना और मानकों के निर्माण में भाग लेना ।

2.10 दूरसंचार उपस्कर के डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए **इलेक्ट्रानिक डिजाइन और विनिर्माण क्लस्टरों को सहायता देना।**

2.11 दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण करने में **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम** (एमएसआईपीएस) के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रावधान को सुकर बनाना।

2.12 अनुरूपता, निष्पादन, अंतर-प्रचालनीयता, स्वास्थ्य, बचाव, सुरक्षा,ईएमएफ/ईएमआई/ईएमसी आदि के लिए सभी दूरसंचार उत्पादों की **जांच और प्रमाणन का अधिदेश देना** ताकि मौजूदा और भावी नेटवर्कों में कनेक्ट करने के लिए सुरक्षित और निर्बाध कार्यकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

2.13 संगत जांच, सत्यापन एवं नए उत्पाद एवं सेवाओं के विकास में सहायता करने को पूरा करने के लिए **उपयुक्त जांच संबंधी अवसंरचना का सृजन करना।** इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं / अवसंरचना को इंजीनियरिंग/शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वास्तविक रूप में दूरसंचार उत्पादों का विकास करने में विद्वानों की सहायता की जा सके।

2.14 दूरसंचार उपस्करों और सेवाओं के निर्यात को समुचित रूप से प्रोत्साहित करना। निर्यातों के लिए समेकित संचार समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न दूरसंचार कंपनियों (विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं) के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

2.15 दूरसंचार उपस्कर निर्माण हेतु एक स्थायी कर प्रणाली को सुगमता से प्रस्तुत करना।

2.16 घरेलू तैनाती और निर्यात के लिए भारतीय उत्पाद विनिर्माताओं को समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराना।

3. लाइसेंसिंग, अभिसारिता और मूल्यवर्धित सेवाएं

3.1 समयबद्ध तरीके से कानूनी, विनियामक और लाइसेंसिंग ढांचे को उन्मुख करना, समीक्षा करना और उसे सुसंगत बनाना ताकि प्रौद्योगिकी और सेवा तटस्थ वातावरण में अभिसारिता सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी को समर्थ बनाया जा सके। अभिसारिता में निम्नलिखित को कवर किया जाएगा:-

3.1.1 सेवाओं की अभिसारिता अर्थात् वॉयस, डाटा, वीडियो, इंटरनेट टेलीफोनी (वीओआईपी), मूल्यवर्धित सेवाओं और प्रसारण सेवाओं की अभिसारिता।
3.1.2 नेटवर्कों की अभिसारिता अर्थात् अभिगम नेटवर्क, संवहन नेटवर्क (एनएलडी/आईएलडी) और प्रसारण नेटवर्क।
3.1.3 उपकरणों की अभिसारिता अर्थात् टेलीफोन, पर्सनल कम्प्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, सेट टॉप बॉक्स और अन्य संबंधित उपकरण।

3.2 डिजिटलाइज़ेशन के बाद स्थानीय केबल टीवी नेटवर्कों की अभिसारिता को सुगम बनाना।

3.3 अभिसारिता, स्पेक्ट्रम उदारीकरण से जुड़े अनुषंगिक लाभों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रणाली की ओर बढ़ना और सक्रिय एवं निष्क्रिय अवसंरचनाओं को साझा करके अंतिम प्रयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने से नेटवर्कों की लाइसेंसिंग को डिलिंक करने को सुगम बनाना ताकि प्रचालक अपने नेटवर्कों तथा स्पेक्ट्रम का इष्टतम और दक्षता से उपयोग करने में सक्षम हो सकें। इससे सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी, निवेश इष्टतम होंगे और डिजिटल बंटवारे के मुद्दे का समाधान करने में मदद मिलेगी। इस नई लाइसेंसिंग प्रणाली से पर्याप्त स्पर्धा सुनिश्चित करते हुए, समान अवसर प्रदान करने, रोल आउट दायित्वों, विलय संबंधी नीति एवं अधिग्रहण, आईपी स्तर पर अंतरकनेक्शन सहित भेदभावरहित इंटरकनेक्शन आदि आवश्यकताओं का समाधान होगा।

3.4 पर्याप्त स्पर्धा सुनिश्चित करते हुए आवश्यक संशोधनों सहित एक उदारीकृत विलय एवं अधिग्रहण नीति तैयार करना।

3.5 सभी भावी लाइसेंसों के बारे में स्पेक्ट्रम को डी-लिंक करना। बाजार संबंधी प्रक्रियाओं की मार्फत निर्धारित मूल्य पर स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा।

3.6 नई एकीकृत लाइसेंसिंग किसी प्रणाली से प्रचालकों को लाइसेंस के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कराई गई सभी सेवाओं के सभी या किन्हीं क्षेत्र में प्रचालन करने की सुविधा मिलेगी। प्रवेश शुल्क प्रणाली को भी तदनुसार तैयार किया जाएगा।

3.7 क्षेत्र विशिष्ट सेवाओं और अनुप्रयोगों की शुरुआत को प्रोत्साहित करना।

3.8 सुरक्षा एवं लाइसेंस संबंधी अन्य दायित्वों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते समय उपभोक्ता के छोर पर मजबूत प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता के अनुरूप-उदाहरण के लिए, वर्चुअल प्रचालकों की शुरूआत द्वारा-थोक और खुदरा दोनों में-प्रस्तावित लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत, सेवा स्तर पर पुन:बिक्री को सुलभ बनाना।

3.9 ट्राई से परामर्श करके पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नए लाइसेंसिंग ढाँचे, मौजूदा लाइसेंसधारकों को नए ढाँचे में लाने, निर्गम नीति के लिए समुचित नीतियाँ तैयार करना।

3.10 वहनीय कीमतों पर वीएएस के वितरण हेतु समुचित विनियामक ढाँचा प्रस्तुत करना जिससे उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्र विशेष की विषय-वस्तु की सुलभता में वृद्धि हो सके।

3.11 संवहन शुल्कों को विनियमित करने हेतु एक ढाँचे की स्थापना करना जो विषय वस्तु के प्रति तटस्थ हो तथा बैंडविड्थ के उपयोग पर आधारित हो। इससे मोबाइल प्लेटफार्म की अपेक्षा सूचना और डाटा की व्यवस्था जैसी गैर मूल्यवर्धित सेवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

3.12 सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सेटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल निजी संचार (जीएमपीसीएस) को उपलब्ध कराने के प्रयास करना।

3.13 इंट्रा-सर्किल मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना ताकि इसके प्रयोक्ता, सेवा प्रदाता चाहे कोई भी हो, एक सेवा क्षेत्र से दूसरे सेवा क्षेत्र में जाने पर अपने पहले वाले मोबाइल नम्बर को बनाए रख सके।

3.14 देशभर मे रोमिंग शुल्क को समाप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ रोमिंग शुल्कों की समीक्षा करना।

3.15 उपभोक्ता वहनीयता को बढ़ाने के लिए वीओआईपी सुविधाओं को सक्षम बनाना और उन्हें लागू करना।

4. स्पेक्ट्रम प्रबंधन

4.1 समुचित विनियामक तंत्र की मार्फत स्पेक्ट्रम का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम होने के लिए स्पेक्ट्रम पूलिंग, शेयरिंग और बाद में व्यापार करने की अनुमति देना और किसी प्रौद्योगिकी में कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए स्पेक्ट्रम के उदारीकरण की ओर शीघ्रता से बढ़ना।

4.2 स्पेक्ट्रम उपयोग की आवधिक जांच करना ताकि इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

4.3 दूरसंचार अनुप्रयोगों हेतु नई प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय-समय पर स्पेक्ट्रम को पुनर्संरचित करना एवं सेवा प्रदाताओं को वैकल्पिक फ्रीक्वेंसी बैंड अथवा मीडिया का आवंटन करना।

4.4 प्रत्येक 5 वर्ष में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की रूपरेखा तैयार करना।

4.5 वाणिज्यिक मोबाइल सेवाओं हेतु आईटीयू द्वारा पहचाने जाने वाले अन्य बैंड और 450 मेगाहट्र्ज, 700 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज, 1910 मेगाहट्र्ज, 2.1 गीगाहट्र्ज, 2.3 गीगाहट्र्ज, 2.5 गीगाहट्र्ज, 3.5 गीगाहट्र्ज बैंड में वैश्विक रूप से सुमेलित पर्याप्त आईएमटी स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना।

4.6 सार्वजनिक उपयोग हेतु कम पावर वाले उपकरणों के लिए आवधिक तौर पर अतिरिक्त फ्रिक्वेंसी बैंडों की पहचान करना ताकि उन्हें लाइसेंसिंग अपेक्षाओं से मुक्त किया जा सके।

4.7 प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के स्वदेशी विकास एवं उनकी तैनाती को प्रोत्साहित करने हेतु विनिर्दिष्ट स्थानों पर अल्प मात्रा में कतिपय फ्रिक्वेंसी बैंडों में स्पेक्ट्रम की जरूरत पर विचार करना।

4.8 स्पेक्ट्रम के आवंटन की मौजूदा भौगोलिक इकाई की समीक्षा करना ताकि इसे इष्टतम बनाए जाने के क्षेत्र की पहचान की जा सके।

4.9 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज (एसडीआर), कॉग्निटिव रेडियोज (सीआर) आदि की तैनाती के माध्यम से विशिष्ट फ्रिक्वेंसी बैंडों में लाइसेंसशुदा व्यतिकरण किए बिना कम शक्तिवाले श्वेत स्पेसों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

4.10 रेडियो स्पेक्ट्रम इंजीनियरिंग, प्रबंधन/रेडियो अनुश्रवण तथा संबंधित मामलों में नीतिगत अनुसंधान करने के लिए एक सरकारी सोसायटी के रूप में उन्नत रेडियो स्पेक्ट्रम इंजीनियरिंग और प्रबंधन अध्ययन संस्थान (आईएआरएसईएमएस) की स्थापना करना और उसको सुदृढ़ करना।

4.11 एक पृथक स्पेक्ट्रम अधिनियम अधिनियमित करना जिसमें वायरलेस (स्पेक्ट्रम) लाइसेंसों और आवंटित स्पेक्ट्रम को नए सिरे से तैयार करने/वापस लेने, स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण, स्पेक्ट्रम को रद्द करने अथवा निरस्त करने, स्पेक्ट्रम के प्रयोग पर छूट देने, स्पेक्ट्रम की साझेदारी करने, स्पेक्ट्रम का व्यापार करने आदि सहित उनके निबंधन एवं शर्तों से संबंधित सभी मुद्दों के बारे में उल्लेख हो।

5. दूरसंचार अवसंरचना/मार्गाधिकार मुद्दे, ग्रीन स्काईलाइन, आपदा तथा आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान प्रशमन संबंधी प्रयास

5.1 देश की दूरसंचार मांग को पूरा करने तथा जहाँ कहीं उपयुक्त हो वहाँ यूएसओएफ का उपयोग करके जरूरी दूरसंचार अवसंरचना के विकास को कारगर बनाने हेतु राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों सहित निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भूमिका पर बल देना।

5.2 वायरलाइन तथा वायरलेस दोनों के लिए दूरसंचार क्षेत्र को अवसंरचना क्षेत्र की मान्यता प्रदान करने और अवसंरचना क्षेत्रों को उपलब्ध लाभ दूरसंचार क्षेत्र को प्रदान करने की दिशा में कार्य करना ताकि विकास के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वास्तविक संभावना को समझा जा सके।

5.3 सेवा प्रदाताओं तथा राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के बीच सुचारू समन्वय को सुसाध्य बनाने के लिए केबल नेटवर्क बिछाने और टावरों की स्थापना आदि के लिए मार्गाधिकार हेतु क्षेत्रीय नीति की समीक्षा करना और उसे सरलीकृत बनाना।

5.4 सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के साथ परामर्श करके दूरसंचार अवसंरचना की समुचित वृद्धि के लिए आम सेवा डक्टों हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।

5.5 सभी दूरसंचार अवसंरचना/सेवा प्रदाताओं द्वारा मानकों पर आधारित अंतर प्रचालनीय जीआईएस प्लेटफार्म पर अवसंरचना परिसंपत्तियों के मापन और सूचना के प्रस्तुतीकरण के लिए लाइसेंसप्रदाता को अधिदेश देना।

5.6 तीव्रतर तथा सरलीकृत ढंग से स्थल संबंधी स्वीकृतियों के लिए फ्रिक्वेंसी आवंटन (एसएसीएफए) स्वीकृति संबंधी स्थायी सलाहकार समिति की समीक्षा करना।

5.7 हरित दूरसंचार के लिए सभी स्टेकधारियों जैसे सरकार, दूरसंचार उद्योग और उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दूरसंचार नेटवर्कों को विद्युत प्रदान करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों (नवीकरणीय उर्जा प्रौद्योगिकियों) के वर्द्धित प्रयोग को सुचारू बनाना। क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों तथा लक्ष्यों को हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के निमित्त नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय और अन्य स्टेकधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

5.8 दूरसंचार नेटवर्क में कम ऊर्जा वायरलेस उपकरणों सहित ऊर्जा कुशल उपस्करों के प्रयोग को बढ़ावा देना और दूरसंचार क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट की कटौती के उपाय अपनाना।

5.9 शहरी विकास मंत्रालय के समन्वय से राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के साथ सुयोजन से तथा राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों हेतु मास्टर प्लानों की विकासात्मक योजनाओं और उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में इन जटिल अपेक्षाओं को अंत:स्थापित करते हुए इन-बिल्डिंग-सॉल्यूशन (आईबीएस) और संवितरित एंटीना पद्धत्ति (डीएएस) के प्रयोग और स्थापना को बढ़ावा देना।

5.10 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के संदर्भ में मोबाइल टावरों एवं मोबाइल उपकरणों हेतु ईएमएफ विकिरण मानकों की आवधिक समीक्षा करना।

5.11 कलात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए छद्म आवरण, लैंडस्केपिंग, एकल स्तंभ के टॉवरों और आवरणयुक्त ढाँचों जैसी नवीन पद्धत्तियों को प्रोत्साहित करना।

5.12 आपदाओं और आपातकाल के दौरान प्रभावी और शीघ्र प्रशमन के लिए क्षेत्रीय मानक प्रचालक प्रक्रिया (स्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रॉसीजर) का निर्धारण करना।

5.13 आपदाओं के दौरान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा जन संचार के विश्वसनीय माध्यम के प्रावधान हेतु समुचित विनियामक तंत्र सृजित करना।

5.14 सूचना के शीघ्र प्रचार-प्रसार और आपदाओं की शीघ्र चेतावनी और आकलन, निगरानी में आईसीटी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

5.15 राष्ट्रव्यापी एकीकृत आपातकालीन संवेदी तंत्र की स्थापना हेतु आपातकालीन सेवाओं के लिए राष्ट्रव्यापी एकल अभिगम सेवा का प्रावधान करते हुए एक संस्थागत ढाँचे को सुगम बनाना।

6. सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करना।

6.1 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों और विनिर्धारित निष्पादन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक तंत्र को सुदृढ़ करना।

6.2 ग्राहक अधिग्रहण से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का निदान करने और पारदर्शिता सुधारने के लिए बिक्री और विपणन संचार हेतु एक प्रैक्टिस कोड तैयार करना।

6.3 सेवाएं, प्रशुल्क और सेवा की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के इसके प्रयासों में क्षेत्रीय विनियामक की सहायता करना।

6.4 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा क्षेत्र कवरेज के वेब आधारित खुलासे हेतु अनिवार्य प्रावधान करना।

6.5 मोबाइल हैंडसेटों की पुनर्प्रोग्रामिंग सहित सुरक्षा, चोरी और अन्य चिंताओं का निदान करने हेतु एक राष्ट्रीय मोबाइल संपत्ति रजिस्ट्री की स्थापना करना।

6.6 उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित उपभोक्ता मंचों के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए विधायी उपाय करना।

7. सुरक्षा

7.1 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य करना और इसे लागू करना कि वे अपने नेटवर्क के माध्यम से प्रवाहित संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तत्कालीन सूचना सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए पर्याप्त उपाय करें।

7.2 विधि प्रवर्तन अभिकरणों को व्यक्तिगत निजता को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथा संभव सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का पालन करते हुए अनुरूप लाइसेंस संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुकूल और भारतीय तार अधिनियम के अनुरूप विनियामक उपायों के माध्यम से संचार सहायता प्रदान करना। विधि प्रवर्तन अभिकरणों को सहायता प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक पद्धति विकसित करना और प्रयोगों में लाना।

7.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरसंचार नेटवर्क में **सेफ-टु-कनेक्ट** उपकरणों को इस्तेमाल किया जाए और सेवा प्रदाता और दूरसंचार नेटवर्क की और इसमें प्रवाहित /एकत्र होने वाले डाटा /सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय करें, विनियामक उपायों के माध्यम से एक संस्थागत ढांचे का सृजन करना।

7.4 सभी क्षेत्रों, विशेषतौर पर महत्वपूर्ण दूरसंचार उपस्करों के सुरक्षा मानकों, सुरक्षा परीक्षणों, अंतरावरोधन और मानीटरिंग क्षमताओं और उत्पादन क्षेत्र जो दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा और विधि प्रर्वत्तन के लिए संचार सहायता का अतिक्रगण करते हैं, में राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना।

7.5 तेजी से असुरक्षित होते संतांत्रिक (साइबर स्पेस) में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विशिष्ट रूप से निर्धारित किए गए मानकों को अपनाते हुए देशी रूप से डिजाइन की गई चिप के साथ देशी रूप से निर्मित मल्टी-फंक्शनल सिम कार्डों को जटिल माना गया है। इस प्रयोजनार्थ और अन्य प्रयोजनों के लिए वेफर-फेब से आंरभ करते हुए संपूर्ण इलैक्ट्रानिक्स इको-पद्धति को बनाया जाना आवश्यक है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण नीति-परक उद्देश्य और परिणाम के रूप में देखा जाता है।

7.6 कार्यात्मक अपेक्षाओं, बचाव औरे सुरक्षा और संचार नेटवर्क के सभी संभव निर्माण ब्लॉकों में अर्थात् उपकरणों, तत्वों (एलीमेंट) संघटकों, भौतिक अवसंरचनाओं जैसे टॉवरों भवनों आदि में मानकस्तरों को अनिवार्य करना।

7.7 सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने में सरकार और सेवा प्रदाताओं के बीच एक प्रारंभिक सीमा से अधिक लागत में हिस्सेदारी के लिए युक्तिसंगत मानदंडों का विकास करना।

8. कौशल विकास

8.1 निम्नलिखित के लिए एक इको-पद्धति लागू करने हेतु.

8.1.1 क्षेत्र की संगत आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद और उद्योग के साथ भागीदारी से विभिन्न दक्षता और विशेषज्ञता स्तरों पर जनशक्ति की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना और एक तरीका तैयार करना।

8.1.2 मानव संसाधन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र में होने वाले प्रौद्योगिकीय विकास के अनुरूप दूरसंचार पाठयक्रमों के शैक्षणिक क्रियाकलापों को आवधिक रूप से अपग्रेड करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में एक समर्थ संरचना का सृजन करना।

8.1.3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की भागीदारी से क्षेत्र में मानव संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए निधि उपलब्ध कराने संबंधी ढांचे सहित एक समर्थ संरचना का सृजन करना।

8.1.4 दूरसंचार क्षेत्र में दक्षता के विकास से संबंधित सभी पहलुओं का अवलोकन करना और एक मार्गदर्शक और समर्थ स्रोत के रूप में कार्य करने हेतु एक उच्च स्तरीय शीर्ष निकाय (उद्योग,अकादमियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सलाहकार समूह द्वारा समर्थित) का गठन करना।

(उद्योग,अकादमियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सलाहकार समूह द्वारा समर्थित) का गठन करना।

8.2 दूरसंचार क्षेत्र में भारतीय केंद्रित प्रौद्योगिकियों और नीतियों में क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी) को सुदृढ़ बनाना और उसका विकास करना।

8.3 दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित सूचना, मानकों, बैंचमार्कों, संसाधनों, कार्यक्रम पाठ्यक्रम आदि का प्रसार करने के लिए एनटीआईपीआरआईटी में एक विस्तृत भण्डार स्थापित करना।

8.4 सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण देने के लिए दूरसंचार विभाग और इसके अन्य संगठनों के अधीन प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्टता के राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

8.5 दूरसंचार क्षेत्र की कौशल और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देना और उनका संवर्द्धन करना।

8.6 इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में [illegible] और निवारण करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और दूरसंचार उत्कृष्टता [illegible] प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

9. सार्वजनिक क्षेत्र

9.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित [illegible] के कार्यान्वयन सहित राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा अंतरराष्ट्रीय महत्व [illegible] समताओं का [illegible]/संवर्द्धन करने में दूरसंचार के [illegible] की पहचान करना।

9.2 प्रबंधन, मानव शक्ति और इक्विटी के संबंध में दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन पर उचित रूप से विचार करना।

9.3 नीतिपरक और प्रचालनात्मक [illegible] की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहित करना ताकि वे सेवा प्रदान करने, अवसंरचना सृजन और विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

9.4 देश की सुरक्षा जरूरतों के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करते हुए दूरसंचार विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संगठनों की अलग-अलग क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करना ताकि इन संगठनों का दूरसंचार के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में प्रभावी ढंग से बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके। अलग-अलग संगठनों द्वारा किए गए उत्पादों और सेवाओं के प्रापण के लिए प्राथमिक आधार पर व्यवस्था करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

9.5 लंबे समय तक भारतीय दूरसंचार उत्पादों के घरेलू विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय आईपीआर के साथ देशी विकसित दूरसंचार उत्पादों को स्थापित करने के लिए दूरसंचार पीएसयू के माध्यम से के तहत उपलब्ध अवसरों की पहचान करना तथा उनका विस्तार करना।

10. क्लाउड सेवाएं

10.1 इस बात की पहचान करना कि क्लाउड कंप्यूटिंग से सेवाओं को प्रदान करने और इनके रॉलआऊट, सामाजिक नेटवर्किंग और भागीदारी आधारित गवर्नेंस व ई-कॉमर्स की राक्षगता में इस पैमाने पर महत्वपूर्ण ढंग से तेजी मिलेगी जो कि प्रौद्योगिकी के परंपरागत समाधानों से संभव न होती।

10.2 सेवा की सुपुर्दगी की लागत को कम करने के लिए आवश्यक रूप से उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों सहित क्लाउड प्रयोक्ताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के सरोकारों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों पर नई सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का तीव्र विस्तार सुनिश्चित करने के लिए नई नीतिगत पहल को अपनाना।

10.3 ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जहां मौजूदा विनियमन अनावश्यक बोझ डालते हों और उद्यमों, उपभोक्ताओं और केंद्र व राज्य सरकारों को लाभान्वित करने के लिए क्लाउड सेवाओं के विकास और प्रावधान में भारत को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में उभारने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों के साथ आनुषंगिक उपचारात्मक कदम उठाना।

11. दूरसंचार उद्यम डाटा सेवाएं, आईपीवी 6 कॉन्वर्जेंट नेटवर्क और भावी प्रौद्योगिकियां

11.1 उद्यम और डाटा सेवाओं के क्षेत्र में उपयुक्त नीतियां बनाना ताकि भारत के आईसीटीई क्षेत्र के और अधिक विकास को [illegible] निवेश को आकर्षित किया जा सके।

11.2 वहनीय अभिगम्यता और दक्ष सेवा सुपुर्दगी के माध्यम से जन कल्याण और ग्राहकों के लिए विकल्पों में और अधिक वृद्धि को बढ़ावा देने में नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाना। सेवा के नए प्रारूपों जैसे कि [illegible] (जैसा रिमोट से चलने वाले सिंचाई पंप, स्मार्ट ग्रिड प्रणाली) के [illegible] में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। विशेषकर इनका रॉल-आऊट और अधिक व्यापक हो गया है।

11.3 क्लाउड सेवाओं, एम 2 एम अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों संबंधी मुद्दों (जैसे कि एन्क्रिप्शन, निज़ता, नेटवर्क सुरक्षा, विधि प्रवर्तन सहायता, अंतर प्रचालनात्मकता, सीमा पार डाटा प्रवाह का संरक्षण इत्यादि) को निपटाने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना ताकि भारत को एक वैश्विक बाजार के रूप में उभारा जा सके।

11.4 नए प्रोटोकॉल पर नई आईपी आधारित सेवाओं की पेशकश की शुरूआत करने और सभी स्टेकहोल्डरों के भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नए और नवाचारी आईपीवी6 आधारित अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नए इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपीवी6 के महत्व को स्वीकार करना।

11.5 आईपीवी6 के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, विशिष्ट प्रशिक्षण, विभिन्न अनुप्रयोगों को विकास में शामिल करने के लिए नवाचार का समर्पित केंद्र स्थापित करना। यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ गहन समन्वय में विभिन्न नीतियों और मानकों की विकास प्रक्रियाओं की सहायता के लिए उत्तरदायी भी होगा।

12. दूरसंचार क्षेत्र का वित्त पोषण

12.1 दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने के लिए दूरसंचार की परियोजनाओं के वित्तपोषण को गतिमान करने और इसे दिशा देने के लिए **दूरसंचार वित्त निगम** को एक विशेष प्रयोजन के साधन के रूप में सृजित करना।

12.2 दूरसंचार क्षेत्र की परियोजनाओं को मौजूदा निकायों से वित्त पोषण के दायरे में शामिल करने के प्रयास करना।

12.3 क्षेत्र को प्रभावित करने वाले करों और उगाहियों को युक्तिसंगत बनाना तथा निवेशों को उत्प्रेरित करने और सेवाओं को और अधिक वहनीय बनाने के लिए स्थिर राजकोषीय व्यवस्था प्रदान करने की ओर कार्य करना।

13. विनियामक की भूमिका, कानून में परिवर्तन

13.1 ट्राई के कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विनियामक अपर्याप्तताओं/ बाधाओं को दूर करने के विचार से ट्राई अधिनियम की समीक्षा करना।

13.2 भारतीय तार अधिनियम और इसके नियमों तथा अन्य संबद्ध कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा करना ताकि इन्हें उपर्युक्त नीतिगत उद्देश्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्यार्थ इनके अनुरूप बनाया जा सके।

13.3 इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कार्यों को निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ यथा अवश्यक दूरसंचार विभाग के विभिन्न एकांशों को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित कदम उठाना।

14. नीति का प्रचालन

14.1 सेवा के समान अवसर के साथ एक एकीकृत उदारीकृत माहौल वाली नई व्यवस्था में मौजूदा सेवा प्रदाताओं को तत्काल माइग्रेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सुकर उपाय करना।

14.2 समय-समय पर यथा उपयुक्त प्रतीत होने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों के द्वारा नीति का प्रचालन किया जाएगा।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 का प्रमुख उद्देश्य समूचे देश में वहनीय, विश्वसनीय और सुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करा कर जन हित को और अधिक बढ़ाना है। इस नीति का मुख्य प्रयोजन समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इन सेवाओं के बहुआयामी और परिवर्तनशील प्रभाव पर बल देना है। यह नीति इक्विटी और व्यापकता को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास एजेंडे को और आगे बढ़ाने में इन सेवाओं की भूमिका की पहचान करती है। नागरिकों के लिए वहनीय और प्रभावी संचार की उपलब्धता, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के दृष्टिकोण का केन्द्र और लक्ष्य है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 इस क्षेत्र मे निजी क्षेत्र की विशिष्ट भूमिका और प्रतिस्पर्धी वातावरण में सेवा प्रदाताओं की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अनुवर्ती नीति की भी पहचान करती है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के अनुसार, ये सिद्धांत, प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं, सेवा प्रदाताओं के हितों और सरकारी राजस्व के बीच संतुलन बनाने के लिए आवश्यक निर्णय लेने में मार्ग-दर्शन करेंगे।